



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45715

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट बी क्रमांक 364/2026**

रामजस (मृत) और एक अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओ)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता

: बाबू राम यादव

प्रतिवादी यो के अधिवक्ता

: स्थायी अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या.-54**

**माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,**

1. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी।
2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"उत्तर प्रदेश समेकन अधिनियम की धारा 48 के तहत पुनरीक्षण संख्या 6110/1998 (रामजस बनाम मुंशी और अन्य) पर यथाशीघ्र, तीन महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए जौनपुर के उप निदेशक समेकन को निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. यदि उपरोक्त मामले का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश जारी किया जाए तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त सारांश में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए न्यायालय मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, इस रिट याचिका का अंतिम निपटारा करना उचित समझता है, और प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देता है कि वह उक्त मामले का निपटारा विधिवत रूप से, तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से करे, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से **पांच महीने** की अवधि के भीतर करे।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम **खारिज** किया जाता है।

**फरवरी 27, 2026**

**वीआर**

**(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”